वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

दिनांक 25 जून 2013 को आयोजित प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक दिनांक 25 जून 2013 को अपरान्ह पूर्व 11.00 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने की एवं निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:–

1. प्रो0 विनय कुमार पाठक — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. श्री राजीव स्वरूप — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा विभाग
   राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर।

3. श्री एल0 एन0 सोनी — प्रतिनिधि वित्त सचिव
   उप सचिव, वित्त विभाग
   राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर।

4. प्रो0 श्रीमती मालाश्री लाल — सदस्य
   डिपार्टमेंट आफ इंगलिश
   दिल्ली विश्वविद्यालयम,दिल्ली।

5. प्रो0 प्रदीप साहनी — सदस्य
   मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ
   इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0,
   नई दिल्ली

6. प्रो0 बी0 के0 शर्मा — सदस्य
   आचार्य
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

7. डा0 आर0 सी0 मीणा — सदस्य
   निदेशक (क्षे0 के0)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,अजमेर।

8. डा0 अशोक शर्मा
कुलसचिव
वमखुविवि,कोटा। — सचिव

9. श्री सुरेश चंद्र शर्मा
वित्त अधिकारी
वमखुविवि,कोटा। — विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन के सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नवीन गतिविधियों एवं भविष्य की योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, सदन ने अध्यक्ष महोदय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी पर हर्ष व्यक्त किया। इसके उपरांत आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चितता के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा विधिवत बैठक प्रारंभ करते हुए कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करने के बाद निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

86/01 प्रबंध मंडल की 85वीं बैठक दिनांक 02 मार्च 2013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनार्थ।

प्रबंध मंडल की 85वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

86/02 प्रबंध मंडल की 85वीं बैठक दिनांक 02 मार्च 2013 निर्णयों के क्रम में की गई अनुपालना की सूचना।

प्रबंध मंडल की 85वीं बैठक के निर्णयों के क्रम में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर, की गई पालना से संतोष प्रकट करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन को सदन द्वारा नोट किया गया।

86/03 विद्या परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 04 मई 2013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 45वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

86/04 वित्त समिति की 50वीं बैठक दिनांक 18 जून 2013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण पर अनुमोदन हेतु चर्चा के दौरान सदन को यह अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता नियम 2013 लागू कर दिया गया है एवं भुगतान आर0टी0जी0एस0 के तहत किए जा रहे है तथा एकाउंटस से सम्बन्धित कार्य का कंप्युटीरीकरण भी प्रगती पर है, सदन द्वारा उक्त जानकारी पर हर्ष व्यक्त किया गया।

तदपुरांत सदन द्वारा वित्त समिति की 50वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

86/05 विश्वविद्यालय परिसर में 33/11 के.वी.सब स्टेशन हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को भूमि उपलब्ध करवाने बाबत् प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल द्वारा जे0 वी0 एन0 एल0 को विश्वविद्यालय परिसर में भुमि उपलब्ध करवाने एवं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

86/06 विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0 01/2013 दिनांक 14.2.13 के तहत विभिन्न शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु चयन प्रकिया के निर्धारण का प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्तावित चयन प्रकिया का अनुमोदन किया गया।

86/07 विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0 01/2013 दिनांक 14.2.13 के तहत विज्ञापित निदेशक, योजना एवं विकास, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रकिया एवं मानदण्ड निर्धारित करने का प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय में इन पदों की भर्ती हेतु योगयताऐं एवं कार्यो के मूल्याकंन आदि की प्रकिया को ही विश्वविद्यालय में लागू किया जाए,प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रो0 श्रीकांत महापात्रा समिति के प्रतिवेदन का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0 की भांती विश्वविद्यालय में भी इन पदों को शैक्षणिक संवर्ग का पद मानने सम्बन्धी कार्यवाही जाए।

86/08 विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0 01/2013 दिनांक 14.2.13 के तहत विज्ञापित उप कुलसचिव पद पर भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता एवं अनुभव इत्यादि के पुर्ननिर्धारण का प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्तावानुसार निर्धारित योग्यता एवं अनुभव इत्यादि के पुर्ननिधारण का अनुमोदन निम्नलिखित संशोधन के साथ किया गया:–
"उप कुलसचिव पद को पूर्णतया प्रशासनिक पद मानते हुए इस पद हेतु विश्वविद्यालय/कालेज में व्याख्याता के पद का पाचं वर्ष अनुभव एवं अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में शोध अनुभव की योग्यता को हटाने का निर्णय किया गया।"

86/09 विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0 01/2013 दिनांक 14.2.13 के तहत विज्ञापित परीक्षा नियंत्रक के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता एवं अनुभव इत्यादि के पुर्ननिर्धारण का प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन की जानकारी में यह तथ्य लाया गया कि परीक्षा नियंत्रक एवं उप कुलसचिव के पद की वेतन श्रृखंला में अधिक अंतर नहीं होने से इस पद के लिए अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाते है। उक्त जानकारी के बाद यह निर्णय किया गया कि परीक्षा नियंत्रक के पद को प्रोफेसर की वेतन श्रृखंला में अपग्रेड करवाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए एवं भविष्य में उक्त पद का कार्यभार प्रोफेसर स्तर के शिक्षक को ही दिया जाए। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय किया गया कि चूंकि उक्त पद प्रोफेसर स्तर का रहेगा इसलिए परीक्षा नियंत्रक द्वारा अपने कार्यो की रिपोर्ट सीधे ही कुलपति महोदय को की जाएगी।

उक्त निर्णयों के बाद प्रस्ताव में उल्लेखित योग्यता एवं अनुभव के पुर्ननिर्धारण का अनुमोदन किया गया।

86/10 निर्धारित चयन प्रकिया अपानाए जाने के बाद जो पद रिक्त रहेंगे उन पर पे माइनस पेंशन के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार विमर्श।

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति पे माइनस पेंशन के आधार पर करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

इसके साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि विभिन्न विषयों में जिनमें आचार्य एवं सह आचार्य के जो पद सीधी भर्ती प्रकिया अपानाने के बाद भी रिक्त रह गए है,उन पदों को सहायक आचार्य के पद में परिवर्तित कर भर लिया जाए । सदन का यह मत था कि इसमें कोई अतिरिक्त वित्तिय भार नहीं है, इसलिए इन पदों (सहायक आचार्य) पर भर्ती हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

साथ ही समाजशास्त्र विषय में आचार्य के पद के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में सामाजिक कल्याण से सम्बन्धित पाठ्यकम बी0एस0 डबल्यु0 एवं एम0एस0डबल्यु0 भी संचालित किए जा रहे है,इसलिए समाजशास्त्र विषय में आचार्य पद परिर्वतन के उपरांत सहायक आचार्य की नियुक्ति के समय समाजशास्त्र एवं एम0 एस0 डबल्यु विषय के लिए यु0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यताओं को भी सम्मिलित किया जाए।

86/11 परीवीक्षा काल में अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों के आवेदन अन्यत्र संस्थान या विश्वविद्यालय में अग्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना कमांक 6012 दिनांक 08 अप्रेल 2013 अवलोकन एवं ओदशार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुमोदन करते हुए जारी किए गए आदेश को विश्वविद्यालय की नीति मानते हुए निर्देशित किया कि भविष्य में किसी भी कार्मिक के एक वर्ष में चार बार से अधिक आवेदन अग्रेशित नहीं किए जावें।

86/12 श्रीमती महिमा पाठक, कनि० तक० सहायक को संशोधित वतेनमान प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

प्रकरण वित्त से सम्बन्धित होने के कारण राज्य सरकार के वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए।

86/13 डा० नित्यानंद शर्मा,राज० आयुर्वेद चिकित्सालय ,कोटा को सहायक आचार्य (योग एवं हेल्थ शिक्षा) के रिक्त पद के विरूद्व प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने का प्रस्ताव।

प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव का अस्वीकृत करते हुए नियमित चयन हेतु विज्ञापन जारी किए जाने का निर्णय किया गया।

86/14 विश्वविद्यालय में स्वीकृत पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद को विलोपित कर Programmer and System Analyst and System Manager का पद सृजित करने का प्रस्ताव अवलोकन एवं निणयार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा के बाद निर्णय किया गया कि पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष दोनों पदों को विलोपित करवाकर Programmer and System Analyst and System Manager के पद सृजित करने के प्रस्ताव शीघ्र अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय किया गया।

86/15 वि० वि० में इंदिरा गांधी रा०मु०वि०वि० की भांती अनुभागाधिकारी से सहायक कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव से उप कुलसचिव के पद पर पदोन्नति दिए जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

86/16 नवीन अध्ययन केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अवलोकन एंव निर्णयार्थ।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

86/17 1. यु०जी०सी० रेग्युलेशन–2000 एवं 2010 में वर्णित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु बुलाई गई समिति की बैठक की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सी०ए०एस० सम्बन्धी चयन समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करते हुए निम्नलिखित शिक्षकों को सह आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया:–

कम संख्या	शिक्षक का नाम	विषय
01	डा0 एल0 आर0 गुर्जर	राज0 विज्ञान
02	डा0 अशोक शर्मा	राज0 विज्ञान
03	डा0 कर्ण सिंह	राज0 विज्ञान
04	डा0 बी0 अरूण कुमार	राज0 विज्ञान
05	डा0 श्रीमति कमलेश शर्मा	इतिहास
06	डा0 याकूब अली खान	इतिहास
07	डा0 एच0बी0 नंदवाना	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
08	डा0 दिनेश गुप्ता	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
09	डा0 जे0के0 शर्मा	अर्थशास्त्र

2. विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2013 दिनांक 14.02.13 के तहत विज्ञापित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु आयोजित चयन समितियों की बैठकों की अनशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सदन द्वारा निम्नलिखित चयन समितियों की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

शैक्षणिक पद

कम संख्या	पद नाम	विषय	चयनित व्यक्ति का नाम
01	आचार्य	भूगोल	कोई योग्य नहीं
02	आचार्य	कंप्युटर साइंस	कोई योग्य नहीं
03	आचार्य	अर्थशास्त्र	काई योग्य नहीं
04	सह आचार्य	गणित	कोई योग्य नहीं
05	सह आचार्य	समाज शास्त्र	कोई योग्य नहीं
06	सह आचार्य	शिक्षा	1. डा0 रजनी रंजन सिंह 2. डा0 अनिल कुमार जैन
07	सह आचार्य	पत्रकारिता	डा0 सुबोध कुमार अग्निहोत्री
08	सहायक आचार्य	लोक प्रशासन	डा0 अकबर अली
09	सहायक आचार्य	शिक्षा	डा0 पतंजली मिश्रा

अशैक्षणिक पद

कम संख्या	पद नाम	चयनित व्यक्ति का नाम
01	प्रोग्राम आफिसर	श्री अभिषेक नागर
02	प्रोड्युसर स्टुडिया	श्री सौरभ पाण्डे
03	विडियो प्रोड्युसर स्टुडियो	श्री मंयक गौड़
04	एडीटर स्टुडियो	श्री अतुल कुमार गुप्ता

उपरोक्त नियुक्तियों के संदर्भ में यह भी निर्णय किया गया कि अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों, राजकीय उपकमों अथवा राज्य सेवा से चयनित व्यक्तियों के वेतन संरक्षण (Pay Proection)के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।

86/18(1) विश्वविद्यालय कार्मिकों के स्थानांतरण की नीति बनाने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

स्थानांतरण निति सम्बन्धी समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करते हुए कनि0 लिपिक से अनुभागाधिकारी स्तर तक के कार्मिकों का स्थानांतरण तीन के स्थान पर दो वर्ष में करने का निर्णय किया गया।

86/18(2) व्यवसायिक शिक्षा निदेशालय के गठन पर विचार एवं निर्णय सम्बन्धी प्रस्ताव।

व्यवसायिक शिक्षा निदेशालय के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया साथ दो आदिवासी जिलों में इससे सम्बन्धित कार्यकम संचालित करने का निर्णय करते हुए प्रतापगढ एवं बांसवाडा जिलो का चयन भी किया गया।

86/18(3) विश्वविद्यालय के कुलगीत बनाए जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

86/18(4) विश्वविद्यालय के ध्वज का प्रारूप विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ

ध्वज के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

86/18(5) विश्वविद्यालय शिक्षकों को दिए गए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाशों की एवज में उपार्जित अवकाश काटे जाने सम्बन्धी आडिट आक्षेप सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि महालेखाकार राजस्थान ने अपने आडिट प्रतिवेदन में वर्ष 1999 से 2006 तक की अवधि में विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा कुल 15 आकस्मिक अवकाशों का उपभोग बताते हुए आक्षेप लगाया कि यु0जी0सी0 नियमानुसार

विश्वविद्यालय शिक्षकों को एक वर्ष में 08 आकस्मिक अवकाश ही देय थे अतः इनके द्वारा अतिरिक्त उपभोग किए गए 07 आकस्मिक अवकाशों (प्रति वर्ष) के बदले आठ वर्षो के कुल 56 उपार्जित अवकाश काटे जावें।

विश्वविद्यालय में वर्ष 1999 से 2006 की अवधि की उपलब्ध उपस्थिति पंजिकाओं के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि अलग अलग शिक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में अलग अलग संख्या में आकस्मिक अवकाशों का उपभोग किया है। उपस्थिति पंजिकाओं के आधार पर तैयार रिकार्ड (प्रस्ताव के साथ संलग्न) के आधार पर यह प्रस्तावित है कि जिस शिक्षक द्वारा प्रति वर्ष 08 से अतिरिक्त जितने आकस्मिक अवकाशों का उपभोग किया है, उतने ही उपार्जित अवकाश उनके खाते से कम किए जाकर तदानुसार आडिट आक्षेप का निस्तारण किया जाना चाहिए। सदन को यह भी अवगत करवाया गया कि जो शिक्षक सेवानिवृत हो गए है उनके मूल आडिट आक्षेप में उल्लेखित संख्या के आधार पर 56 दिवस के उपार्जित अवकाश की राशि रोक कर रखी गई है।

उक्त जानकारी के उपरांत प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किया कि 31.12.06 तक वास्तविक संख्या के आधार पर अतिरिक्त आकस्मिक अवकाशों के उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर समायोजित कर दिए जाएं एवं वर्ष 2007 से 2011 तक की अवधि में वास्तव में लिए गए आकस्मिक अवकाशों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यदि 08 से अतिरिक्त आकस्मिक अवकाशों का उपभोग किया गया है तो उनके भी उपार्जित अवकाश की कटौति कर समायोजि किये जाए। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि जिन शिक्षकों की तत्समय की उपस्थिति का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है उनके कुल उपभोग आकस्मिक अवकाशों की संख्या प्रति वर्ष 15 ही मानी जाए एवं उक्त निर्णय के आधार पर आडिट आक्षेप निरस्त करवाने की कार्यवाही की जावे।

86/18(6) सह आचार्य (इतिहास) के पद को सहायक आचार्य (पर्यटन एवं होटल प्रबंधन) के पद में परिर्वतित करने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

86/18(7) समस्त प्रस्तावों पर निर्णय बाद प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा एवं मूल्यांकन का कार्य ऑनलाइन/डिजिटिलाइजेशन मूल्यांकन किये जाने का सुझाव दिया,जिससे समय एवं धन की बचत के साथ कार्य में पारदर्शिता भी रहेगी एवं विद्यार्थीयों को अंकतालिका प्राप्त करने एवं सत्यापन में भी सुविधा रहेगी, इस कार्य हेतु राज0 तक0 विश्वविद्यालय की सहयोग भी लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त विचारों से सहमति प्रकट करते हुए आगामी सत्र से इस योजना को कियान्वित करने की सहमति प्रकट की।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव एवं
सचिव (प्रबंध मंडल)

निर्णय सं. 86/18 (8)
संशोधन पत्र सं. 1151 दि. 3/8/2013
[illegible]
(P.No. 12)

8/12

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

कमांकः–वमखुविवि / कुस(बैठक) / 13 / 926 दिनांक 2/7/13

संशोधन

प्रबंध मंडल की 86 वीं बैठक के निर्णय संख्या 86 / 14 के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद को विलोपित कर एक पद Programmer एंव एक पद System Analysis and Design Manager के सृजित करवाने का प्रस्ताव किया गया था।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल द्वारा पुस्ताकलयाध्यक्ष के साथ साथ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को भी विलोपित कर एक पद Programmer एंव एक पद System Analysis and Design Manager के पद स्वीकृत करवाने का निर्णय किया गया था, किंतु टंकण त्रुटी के कारण Programmer and System Analyst and System Manager के पद सृजित किए जाने का निर्णय टंकित हो गया है।

अतः उक्त त्रुटी को दूरस्त करते हुए प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक के निर्णय संख्या 86 / 14 को निम्नानुसार पढा जावेः–

86 / 14 विश्वविद्यालय में स्वीकृत पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद को विलोपित कर Programmer and System Analyst and System Manager के पद सृजितकरने का प्रस्ताव अवलोकन एवं निणयार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा के बाद निर्णय किया गया कि पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को विलोपित करवाकर एक पद Programmer एंव एक पद System Analysis and Design Manager के सृजित करने के प्रस्ताव शीघ्र अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय किया गया।

उक्त संशोधन माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनानुसार जारी किए जाते है।

927-36
2.7.13

कुलसचिव

प्रतिलिपी :–

1. समस्त सदस्यगण प्रबंध मंडल (——————————)
2. वित्त अधिकारी, वमखुविवि,कोटा।
3. उप कुलसचिव,(स्थापना)

कुलसचिव

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

कमांकः–वमखुविवि / कुस(विधि) / 13 / 1142 दिनांकः– 3/8/13

कार्यवाही विवरण का शुद्धि आदेश

प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक दिनांक 25.06.2013 के कार्यवाही विवरण में निर्णय संख्या 86 / 07 को निम्नानुसार लिखा गया है :–

"विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0 01 / 2013 दिनांक 14.22013 के तहत विज्ञापित निदेशक, योजना एवं विकास, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रकिया एवं मानदण्ड निर्धारित करने का प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय में इन पदों की भर्ती हेतु योग्यताऐं एवं कार्यो के मूल्याकंन आदि की प्रकिया को ही विश्वविद्यालय में लागू किया जाए,प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रो0 श्रीकांत महापात्रा समिति के प्रतिवेदन का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0 की भांति विश्वविद्यालय में भी इन पदों को शैक्षणिक संवर्ग का पद मानने सम्बन्धी कार्यवाही जाए। "

उपरोक्त निर्णय की अंतिम पंक्ति (विश्वविद्यालय में भी इन पदों को शैक्षणिक संवर्ग का पद मानने सम्बन्धी कार्यवाही की जाए)को माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जारी कार्यवाही विवरण में निम्नानुसार संशोधन किया गया है, उसको निम्नानुसार पढा जाए :–

" विश्वविद्यालय में भी इन पदों को विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के चैप्टर–1 की धारा 02 की उपधारा "D" के तहत "शैक्षणिक स्टाफ के अन्य सदस्य" (Other member of academic staff) माने जाने का अनुमोदन किया गया।"

उक्त शुद्धि विवरण माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)

कमांकः–वमखुविवि / कुस(विधि) / 13 / 1143-50 दिनांकः– 3/8/13

प्रतिलिपी सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, कुलपति सचिवालय,वमखुविवि,कोटा।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर।

लगातार जारी—2

4. प्रो० श्रीमती मालाश्री लाल, दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।
5. प्रो० एम०एम० सालुंखे, कुलपति, राज० केन्द्रीय विश्वविद्यालय,किशनगढ, अजमेर।
6. प्रो० प्रदीप साहनी, इंदिरा गांधी रा० मु० वि०वि०, नई दिल्ली।
7. प्रो० बी० के० शर्मा, सेवानिवृत्त आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
8. डा० आर०सी० मीणा, निदेशक, क्षे०के०वमखुविवि,अजमेर।
9. उप कुलसचिव, स्थापना,वमखुविवि,कोटा।

कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)

2/2

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

कमांकः–वमखुविवि / कुस(विधि) / 13 / 1151 दिनांकः– 3/8/13

संशोधन

प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक दिनांक 25.06.2013 के कार्यवाही विवरण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 904–909 दिनांक 26.06.2013एवं संशोधन क्रमांक 926 दिनांक 02.07.2013 समस्त सदस्यगणों को प्रेषित किए गए थे, उसमें माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निर्णय संख्या 86 / 18(8) (गोपनीय एजेंडा) अंकित होने से रह गया था। पूर्व जारी कार्यवाही विवरण को अद्यतन करते हुए निर्णय संख्या 86 / 18(7) के पश्चात् निर्णय संख्या 86 / 18(8) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

86 / 18(8) निदेशक (योजना एवं विकास), निदेशक(क्षे0के0) एवं उप कुलसचिव के पदों पर चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञों का पैनल अनुमोदनार्थ।

सदन के पटल पर प्रस्तुत निदेशक (योजना एवं विकास), निदेशक (क्षे0के0) एवं उप कुलसचिव के पदों के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञों के पैनल को अनुमोदित किया गया।

उक्त संशोधन माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)

कमांकः–वमखुविवि / कुस(विधि) / 13 / 1152-60 दिनांकः– 13/8/13

प्रतिलिपी सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01 सचिव, कुलपति सचिवालय,वमखुविवि,कोटा।
02 प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर।
03 प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर।
04 प्रो0 श्रीमती मालाश्री लाल, दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।
05 प्रो0 एम0एम0 सालुंखे, कुलपति, राज0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय,किशनगढ, अजमेर।
06 प्रो0 प्रदीप साहनी, इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0, नई दिल्ली।
07 प्रो0 बी0 के0 शर्मा, सेवानिवृत्त आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
08 डा0 आर0सी0 मीणा, निदेशक, क्षे0के0वमखुविवि,अजमेर।
09 उप कुलसचिव, स्थापना,वमखुविवि,कोटा।

कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)